[Shri R. K. Mhalgi]

Standing crops in about 30,000 hectares were damaged. According to official information the damage is to the tune of 150 lakhs. About 1200 houses had been damaged and 1300 villages are affected. The Government of Maharashtra have started providing relief to the affected farmers and villagers. The Union Government also must come forth for immediate financial assistance to the people affected by natural calamity.

(iii) KERALA GOVERNMENT'S REQUEST FOR RESCINDING OF NOTIFICATION WHICH DECLARED COCONUT HUSK AND COIR FIBRE AS ESSENTIAL COMMODITIES.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I should like to make a statement under rule 377. Coir industry is one of the traditional industries of Kerala providing employment to lakhs of people in the State. The Government of Kerala have been implementing a programme for self-employment of coir workers through cooperatives with special assistance from the Government of India. The main objective of these programmes is to ensure steady employment and reasonable wages to the coir workers. Availability of raw materials at reasonable price is a *sine qua non* for the success of the scheme. Since Certain regulations are highly essential for ensuring adequate supply of coconut husk and coir fibre at fair prices, the Government of India issued the Coconut Husk Control Order of 1973, under the provision of the Essential Commodities Act of 1955. The State Government had also issued orders under D.I.R. in 1977 regulating the price, movement, sale and export of coir fibre. Consequent on the withdrawal of the Emergency, these orders ceased to be in force. The Government of Kerala have requested the Government of India on 15th December, 1978 to issue necessary orders rescinding their notification by which coconut husk and coir fibre have been declared as essential commodities so as to enable the Kerala Government to declare them as essential articles under the Kerala Essential Articles Control (Temporary Provision) Act.

I request the Central Government to issue necessary orders.

(iv) NEED FOR PROPER PLANNING TO CONTROL FLOODS TO OBVIATE PEOPLES SUFFERINGS.

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : जनाबेम्राली, मैं दफ़ा 377 के म्रधीन निम्न वक्तव्य देना चाहूंगी—"यह कि देश में जो हर मौसम में बाढ़ म्राने लगी है, वह प्रशासन की म्रनियोजित व म्रकाल्पनिक तरीके से है। जंगल काट लिये गये हैं म्रौर बरसात के पानी के प्राकृतिक बहाव जो नदियों में मिलता था, उस में रुकावट डाल दी गई है। क्योंकि ज्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं म्रौर शहरों के बचाव के लिये प्राकृतिक बहाव पर रोक लगा दी व जंगल काट दिये, जिस से म्राए साल करोड़ों रुपये की फसलों की हानि होती है व करोड़ों म्रादमी दुख उठाते हैं।

(v) REPORTED CLOSURE OF BERAR OIL INDUSTRY AT AKOLA FOR WANT OF COAL.

SHRI VASANT SATHE (Akola): It is reported that Berar Oil industry, a leading vegetable ghee unit at Akola had to be closed down since 10-2-1979 for want of coal affecting more than 650 workers and many other related economic activities. There are also reports that many other industrial units have been closed down and large number are likely to be closed as a result of acute scarcity of coal in Vidarbha region of Maharashtra State affecting thousands of workers. It is also reported that stock position of coal in different power stations in Maharashtra has been affected badly and stands as below as on 20th February, 1979: Nasik—nil, Perli—1 day's stock, Paras—3 days' stock, Bhusaval—3 days' stock, Koradi—6 days' stock, Balharshah—7 days' stock, Khaparkheda—10 days' stock. Daily requirement for all 7 power stations together is 15,000 tonnes, *i.e.*, about 682 wagons (4-wheeler) per day. During recent period, this amount has never been supplied and gradually the stock at each power station has been slowly consumed. Assurance has been given in the past by the Minister of Energy that there is no shortage of coal. The Minister of Railway has given assurance that there is no problem of movement. Yet, the thermal stations are

running on hand-to-mouth basis and actually facing threat of closure during the busy agricultural season. The situation is serious enough to call for immediate action of the Government. I, therefore, urge upon the Government to move quickly in the matter.

I would request the Minister of Parliamentary Affairs to bring it to the notice of the Minister concerned and according to the practice now evolved, they have to reply to us.

14.17 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will take up the Motion of Thanks on the President's Address and continue the debate. Shrimati Ahilya Rangnekar may continue her speech.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Yesterday I raised a point about my amendment for clemency to Mr. Bhutto. I am happy that the hon. Speaker has admitted it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may move it.

SHRI G. M. BANATWALLA: I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:—

"but regret that the Address fails to appeal to the President of Pakistan for clemency to Mr. Zulfiqar Ali Bhutto sentenced to death in accordance with both the popular feeling within our country and the world opinion." (394).

MR. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Ahilya Rangnekar may continue her speech.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में बताया था कि हमारी एग्रीकल्चरल एकोनोमी में कैसा क्राइसिस है और कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डैक्स भी कैसे बढ़ रहा है। इस का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है लेकिन यह कहा गया है की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ हम देख रहे हैं और उस से काफी एम्लायमेंट बढ़ जाएगा और उसका अच्छा असर हमारी एकोनामी पर पड़ेगा। कहते तो ये यह हैं लेकिन जब पालिसी अमल में लाते हैं तो हम यह देख रहे हैं कि आज भी मल्टी नेशनल को सब सुविधाएं मिलती हैं। महाराष्ट्र में बम्बई में जो 47 लाइसेंस दिये गये हैं, उन में से 37 लाइसेंस बिग इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स और मलटी नैशनलस को दिये गये हैं। इस तरह से आज इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिये जो भी लाइसेंस मिलता है, वह आज भी बड़े लोगों को ही मिलता है। इतना ही नहीं, इन लोगों को सहूलियतें देनें के लिए और भी चालबाजी शुरू की है।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपना धंधा बांटना शुरू कर दिया है। उन्हों ने इलैक्ट्रोनिक्स की फैक्ट्री चार हिस्सों में बांट दी है और बांट कर कहते हैं कि यह हमारी छोटी इंडस्ट्री है। हमारे यहां पालियामेंट के मेम्बर श्री डी० डी० देसाई हैं। उन्होंने भी अपना कारखाना बन्द कर दिया है और उस की जगह पर तीन चार यूनिट आ रहे हैं। इस तरह से कारखानों को डिवाइड करने का तरीका चल रहा है। इस तरह से वे लोग मुनाफाखोरी करने के लिये ये सब सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर के बहुत बयान आते हैं लेकिन उन पर प्रैक्टिस में कुछ नहीं होता है। इस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वही पुराना तरीका हो जाएगा और इस से डिस्पैरिटी आफ इंकम बढ़ती रहेगी।

आप रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखें। उस में लिखा है कि प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रही है और वर्किंग क्लास क वेजिज कम हो रहे हैं, उन की तनख्वाह कम हो रही है। कारखाने वालों का मुनाफा बढ़ रहा है। वे लोग नयी मशीनें ला रहे हैं जिससे अनएम्प्लायमेंट बढ़ रही है।

मैं एक खास बात की ओर भी आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। औरतों के बारे में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नयी नयी मशीनें ला कर हमारी औरतों को बेकार बनाया जा रहा है। इकुअल वेजिज एक्ट के होते हुए भी औरतों को इकुअल वेजिज नहीं मिलते हैं। हम ने महाराष्ट्र में देखा है कि वहां एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम है, लेकिन वहां महिलाओं को इकुअल वेज नहीं मिलते हैं। हम अगर कहते हैं तो कह दिया जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या की जाती है ? जानबूझ कर उन को सेकेंड ग्रेड में रखा जाता है। आप इस चिल्ड्रन इयर में उन की माताओं की मदद नहीं करेंगे, महिलाओं की मदद नहीं करेंगे तो इस इयर का कुछ नहीं होने वाला है। हमारे प्रेजीडेंट साहब ने अपने भाषण में महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है।

हमारे मिनिस्टर ने एक कान्फ्रेन्स बुलायी थी कि वर्किंग वीमेंस के बारे में कुछ करेंगे। मैं आप को बताती हूं कि हमारी वर्किंग वीमेंस की क्या हालत है। उनके आफिसिज में पीने के पानी और दूसरी सुविधाओं का कोई इंतजाम नहीं है ग्रेड वगैरह की बात तो दूर इन चीजों का इंतजाम भी हमारी वर्किंग वीमेंस के लिए नहीं हो पा रहा है। दूसरे वर्किंग वीमेंस के ग्रेड्स में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस का क्या होगा, इस का जिक्र प्रेजीडेंट साहब को करना चाहिये जो कि उन्हों ने नहीं किया। सब जगह एयर होस्टेस को मैरिज करने का अधिकार है लेकिन हमारे मिनिस्टर कहते